न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 61/2019 एल.आर.एक्टं
GCMS No. 2019/00147

1. केशर देवी पुत्री स्व. नेमाराम पत्नी छगनाराम जाति कुम्हार निवासी गांव हियादेसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।

—— अपीलान्ट

बनाम

1. फरसाराम } पुत्रगण स्व. नेमाराम जाति कुम्हार निवासी नोखा गांव तहसील
2. मूलाराम } नोखा जिला बीकानेर।
3. रेवन्तराम पुत्र स्व. नेमाराम जाति कुम्हार निवासी नोखा गांव, तहसील नोखा जिला बीकानेर।(फौत)
   - 3/1. किशना देवी विधवा पत्नी रेवन्तराम कुम्हार
   - 3/2. अखाराम पुत्र रेवन्तराम कुम्हार
   - 3/3. गणपतराम पुत्र रेवन्तराम कुम्हार
   - 3/4. तिलाराम पुत्र रेवन्तराम कुम्हार
   - 3/5. मदनलाल पुत्र रेवन्तराम कुम्हार
   - 3/6. तेजाराम पुत्र रेवन्तराम कुम्हार
   - 3/7. किस्तुराराम पुत्र रेवन्तराम कुम्हार
   - 3/8. कुमारी कुन्नी पुत्री रेवन्तराम कुम्हार

   निवासी जैल सदर के पास नोखा जिला बीकानेर।
4. तुलछाराम } पुत्रगण स्व. नेमाराम कुम्हार जाति निवासी नोखा गांव, तहसील
5. पन्नाराम } नोखा जिला बीकानेर।
6. सोनी विधवा पत्नी स्व. मोहनराम पुत्र स्व. नेमाराम जाति कुम्हार निवासी नोखा गांव, तहसील नोखा जिला बीकानेर।
7. मीरा पुत्री स्व. मोहनराम पत्नी श्यामलाल पुत्र रामचन्द्र कुम्हार निवासी गांव नाथुसर जिला बीकानेर।
8. तारा पुत्री स्व. मोहनराम पत्नी श्यामलाल पुत्र रामचन्द्र कुम्हार निवासी गांव नाथुसर जिला बीकानेर।
9. सुषमा पुत्री स्व. मोहनराम पत्नी भगवानाराम पुत्र घमाराम जाति कुम्हार निवासी गांव नाथुसर जिला बीकानेर।
10. ग्राम पंचायत नोखा गांव पंचायत समिति नोखा।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोखा।

—— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री राजकुमार वर्मा — अभिभाषक अपीलांट
श्री विनोद कुमार पुरोहित — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1
एकतरफा कार्यवाही — रेस्पोडेन्ट सं. 2, 3/1 ता 3/2, 3/4 ता 10

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

निर्णय

दिनांक 18.09.2025

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा के आदेश दिनांक 27.09.2019 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है। अपील मीमों अनुसार अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादगत भूमि रोही नोखा गांव ग्राम पंचायत नोखा के पुराना खसरा नंबर 231 तादादी 74 बीघा 8 बिस्वा नया खसरा नंबर 550 तादादी 11.40 हैक्टेयर व खसरा नंबर 551 तादादी 7.40 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल तादादी 18.80 हैक्टेयर कृषि भूमि है। अपीलांट के पिता स्व..नेमाराम का देहान्त दिनांक 16.01.1990 को हो जाने पर उक्त वादगत भूमि का इंतकाल संख्या 539 ग्राम पंचायत नोखा द्वारा दिनांक 20.04.1991 को रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 5, रेस्पो. सं. 6 ता 9 के पिता व अपीलांट की माता सुन्दर देवी उर्फ सोहदरा देवी के नाम विरासतन दर्ज कर दिया गया। इंतकाल संख्या 539 के विरूद्ध अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील पेश की, जिसे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.09.2019 पारित करते हुए खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांके 27.09.2019 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील पेश की है।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलांट के पिता स्व. नेमाराम का देहान्त 16.01.1990 को हो जाने पर वादगत भूमि का इंतकाल संख्या 539 ग्राम पंचायत नोखा द्वारा दिनांक 20.04.1991 को अपीलांट की गैर मौजूदगी में स्व. नेमाराम की पत्नी सुन्दर देवी उर्फ सोहदरा देवी पुत्र फरसाराम, मूलाराम, रेवंतराम, तुलछाराम व मोहनराम के नाम दर्ज हो गया। अपीलांट का वैध हिन्दु उत्तराधिकार एवं कामय मुकाम कानूनी वारिसान होने के कारण वादगत भूमि में संयुक्त व अविभाजित 1/7 हिस्सा निहित है। अपीलांट के भाइयों ने जानबूझकर अपीलांट का नाम छिपाकर हलका पटवारी व ग्राम पंचायत नोखा से मिलीभगत कर अपने नाम नामान्तरण अंकन करवा लिया, जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायायलय के समक्ष प्रस्तुत अपील में अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना व गुणावगुण पर विचार किये बिना केवल मियाद बिन्दु पर अपील को खारिज कर दिया। अपीलांट एक वृद्ध अनपढ़ पर्दानशीन औरत है जिसके अधिकारों को हड़पने की गरज से उनके भाइयों द्वारा अंधेरे में रखकर माता सुन्दर उर्फ सोहदरा देवी का दस्तावेज मृत्यु

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

के बाद वारिस का बनवाने हेतु खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिये गये हो एवं फर्जी भी हस्ताक्षर किये गये हो सकते है। अपीलांट ने कभी भी राजस्व अपील प्राधिकारी के यहां पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र नही दिया ना ही उसे इस कार्यवाही की कभी भी जानकारी रही है। अपीलांट को वादगत नामान्तरण की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 29.07.2019 को नकल लेने पर हुई। अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली तलबी तामिल में चल रही थी, जिसमें सम्पूर्ण तामिल होने व पक्षकारों को सुनकर निर्णय पारित किया जा सकता था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने आनन–फानन में एक पक्षीय बहस सुनकर एकतरफा फैसला पारित कर कानूनी भूल कारित की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.09.2019 निरस्त किया जावे तथा अपील रिमाण्ड की जाकर प्रकरण का निस्तारण मेरिट पर किये जाने का आदेश फरमाया जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस के संबंध में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये हैं:–

- हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 वारिस वर्ग सूची
- आर.आर.डी. 2002 पेज सं. 63
- आर.आर.डी. 1989 पेज सं. 45
- आर.आर.डी. 1994 पेज सं. 606
- आर.आर.डी. 1982 पेज सं. 332
- आर.आर.डी. 1985 पेज सं. 577

3– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में लगभग 25 वर्ष बाद अपील पेश की। अपीलांट को अपीलाधीन इंतकाल की जानकारी दिनांक 29.07.2019 को होना अंकित किया गया है जबकि रेस्पोडेन्ट सं. 3 द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर के समक्ष खाता विभाजन आदेश दिनांक 30.12.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में अपीलांट ने आदेश 1 नियम 10 जाब्ता दिवानी के तहत दिनांक 11.03.2014 को पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसे राजस्व अपील प्राधिकारी ने दिनांक 19.07.2018 को खारिज कर दिया तथा उक्त अपील को दिनांक 06.08.2018 को खारिज कर दिया। अपीलांट के भाई रेवंतराम ने आदेश दिनांक 06.08.2018 के विरूद्ध रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उक्त रिव्यू प्रार्थना पत्र में भी अपीलांट द्वारा पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 23.07.2019 द्वारा खारिज कर दिया। अपीलांट द्वारा इस न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालय दोनों में ही झूठे तथ्य अंकित करते हुए, गलत शपथ–पत्र प्रस्तुत कर अपील पेश की है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

4— अभिभाषक अपीलांट को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 10 के निमित्त रजिस्टर्ड एडी सम्मन प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 09.11.2022 को पाबन्द किया गया, जिन्हें दिनांक 09.01.2023 को जरिये रजिस्टर्ड डाक जारी कर दिया। उक्त में से रेस्पो. सं. 3/3 को छोड़कर शेष रजिस्टर्ड एडी सम्मन लौटकर वापिस प्राप्त नहीं हुए एवं न ही रेस्पोडेन्ट्स स्वयं अथवा उनकी ओर से कोई विधिक प्रतिनिधि उपस्थित हुए। अतः इस न्यायालय की आदेशिका दिनांक 28.02.2023 द्वारा उनके विरूद्ध (Ex Parte) एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तत्पश्चात् दिनांक 01.07.2024 को रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से अधिवक्ता जरिये वकालतनामा उपस्थित हुए।

5— हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों, अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख व न्यायिक दृष्टांत का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.09.2019 पारित कर अपीलांट की अपील को मियाद बाहर होने के कारण खारिज कर दिया। अपीलांट द्वारा ग्राम पंचायत नोखा के आदेश दिनांक 20.04.1991 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील दिनांक 16.08.2019 को लगभग 25 वर्ष बाद पेश की। अपीलांट द्वारा अपीलाधीन इंतकाल की जानकारी दिनांक 29.07.2019 को होना अंकित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा प्रपत्र 3 के संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलांट को ग्राम पंचायत नोखा के आदेश दिनांक 20.04.1991 की जानकारी प्रारंभ से ही थी। उक्त परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा का अपीलाधीन आदेश न्यायोचित है। हम अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जाता है।

6— तदानुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 18.09.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर